तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
07/2015	पत्रावली। आज राष्ट्रीय लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान-2015 के तहत कैम्प मरकूजरा में पेश हुई। वादी/प्रतिवादी दोनों उपस्थित। वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री सुखराम पंकार द्वारा दावा अन्तर्गत धारा-188 RTAct प्रस्तुत किया है जिसमें निवेदन किया है कि आराजी ख० नं० 319 रकबा 0.14 एकड़ एवं आ० ख० नं० 320 रकबा 0.14 एकड़ कुल किता 2 रकबा 0.28 एकड़ वाके ग्राम मठ सिपरौंदा ग्रा० पं० मरकूजरा में स्थित है। विवाद ग्रस्त है। दावे में अंकित किया है कि प्रतिवादी भरोसण, नरसी पुत्रगण सवाराम एवं आत्तलाल पुत्र लज्जाराम जाति जाटव नि० मठ सिपरौंदा का उक्त विवादग्रस्त आराजीयात से कोई लेन देन नहीं है। जिस में दिनांक 1-11-13 को प्रतिवादी सं० 1 लगातार 13 एक राम होकर विवादग्रस्त आराजीयात पर अपने चार-पाँच आदमियों को लेकर आये और खेतों की मेढ़ तोड़कर जबरन नींव खोदकर निर्माण करने लगे। तथा जबरन ~~[illegible]~~ पानी की खड़ी फसल को नष्ट करने लगे। वादी द्वारा उक्त विवादग्रस्त आराजीयात पर प्रतिवादियों को किसी प्रकार के हस्तक्षेप अजाहमत, अदालत कोई नहीं करके और ना ही जबरन नींव खोदकर निर्माण करके खेतों की मेढ़ तोड़कर कब्जा नहीं करने कब्जा कास्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी/प्रतिवादी दोनों को सुना गया। विवादित	नरसी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	आराजीयात खाता सं 097 के ख० नं० 319 एवं 320 वाकि ग्राम नठ विपरौंदा के संबंध में पटवारी प० ह० भरकुंजरा की रिपोर्ट ली गई। तथा पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी खाता सं 097 खसरा नं० 319 रकबा 0-14 एकड़ एवं ख० नं० 320 रकबा 0-14 एकड़ का अवलोकन किया गया।
	पत्रावली का अध्ययन एवं संलग्न दस्तावेजात व रिपोर्ट पटवारी प० ह० भरकुंजरा दिनांक 8.7.15 का अवलोकन करने पर पाया कि विवाद ग्रस्त आराजी ख० नं० 319 रकबा 0-14 एकड़ एवं 320 रकबा 0-14 एकड़ पर श्री भरतसिंह पुत्र ब्रह्मासिंह कौम ठाकुर नि० ग्राम नठ विपरौंदा का रिकार्ड के अनुसार मालिकाना हक है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को पाबन्द किया जाता है कि विवादग्रस्त आराजीयात पर किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करें। और ना ही कब्जा निर्माण करें। लिहाजा रफुल न्यायालय कैम्प भरकेजरा से सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज की जावे तथा पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावे।

उपखण्डाधिकारी
सरमथुरा (धौलपुर) राज